CHOUDHURY : (a) and (b). An application for a C.O.B. licence from M/s. Durgapur Cements for a capacity of 6.0 lakh tonnes of slag cement at Durgapur has been received and the matter is under consideration.

कोयले का वजन न किया जाना

*1392. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में हानि का एक मुख्य कारण यह है कि कोयले का वजन उस स्थान पर नहीं किया जाता है जहां से वह लादा जाता है और लादे जाने के बाद वहीं पर अथवा किसी अन्य स्थान पर कुछ कोयला निकाल दिया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). कोयले के माल डिब्बे या तो कोयला खानों की साइडिंगों पर तोले जाते हैं जहाँ साइडिंगों के मालिकों द्वारा तुला चौकियों की व्यवस्था की गयी है या मूल स्टेशनों पर तोले जाते हैं जहां रेलों द्वारा तुला चौकियों की व्यवस्था की गयी है । किंतु मध्य रेलवे के एक लदान स्थल और दक्षिण मध्य रेलवे के दो लदान स्थलों पर जहां या तो तुला चौकियों की व्यवस्था नहीं है या वे इतनी बड़ी नहीं हैं कि उन पर बी० ओ० एक्स-माल डिब्बों को तोला जा सके, वहां वजन की गणना आयतन के आधार पर की जाती है ।

2 न्यूनतम प्रभार्य भार माल डिब्बे की वहन क्षमता और उसकी अनुमत सहन सीमा है, तो चौपहिया माल डिब्बे के मामले में एक टन और अठ-पहिया माल डिब्बे के मामले में दो टन है । रेलें यह न्यूनतम प्रभार वसूल करती हैं चाहे लदे हुए कोयले की वास्तविक मात्रा कुछ भी हो, और इस तरह भाड़ा प्रभारों में कोई नुकसान नहीं होता । रेलवे रसीद भार तोलने के बाद जारी की जाती है और इसके बाद ही रेलवे की जिम्मेदारी शुरू होती है ।

जिन साइडिंगों पर खान मालिकों की अपनी तुला चौकियाँ नहीं हैं उन पर कभी-कभी माल डिब्बों में अधिक लदान हो जाता है, अर्थात् संरक्षा की दृष्टि से निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक भार लाद दिया जाता है, चूंकि इस अधिक लदान की अनुमति नहीं दी जा सकती इसलिए कोयले की जितनी मात्रा अनुमत सीमा से अधिक पायी जाती है उतनी मात्रा तोलने वाले स्टेशनों पर उतार ली जाती है । कोयला खान मालिकों को यह कोयला वहां से हटा लेने या अपनी जिम्मेदारी पर दूसरे माल डिब्बों में फिर से लादने का अधिकार है । प्रत्येक माल डिब्बे पर कोयले के लदान के लिए पेंट की हुई एक भार-रेखा रहती है जो माल डिब्बे की निर्धारित वहन क्षमता तक का भार बताती है । यह रेखा अनुमत भार से अधिक लदान न करने के लिए मार्ग दर्शक रेखा का काम देती है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजिन

*1393. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस द्वारा प्रतिवर्ष रेल के कितने इंजनों का निर्माण किया जाता है ;

(ख) उक्त कारखाने में निर्मित विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक प्रकार के इंजन की निर्माण-लागत कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।